सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
श्रावण 17, मंगलवार, *शाके* 1945-अगस्त 08, 2023 *Sravana 17, Tuesday , Saka 1945- August 08, 2023*	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 7, 2023

संख्या प.2(34)विधि/2/2023.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 4 अगस्त, 2023 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023

(2023 का अधिनियम संख्यांक 13)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 4 अगस्त, 2023 को प्राप्त हुई)

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

(2) यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारंभ से ऐसे किसी उपबंध में के किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश से किया जायेगा।

2. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 10 का संशोधन.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 10 में,-

(क) उप-धारा (2) के खण्ड (घ) में विद्यमान अभिव्यक्ति "माल या" हटायी जायेगी; और

(ख) उप-धारा (2क) के खण्ड (ग) में विद्यमान अभिव्यक्ति "माल या" हटायी जायेगी।

3. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 16 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (2) में,-

(i) द्वितीय परंतुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "उस पर के ब्याज के साथ, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जायेगा:" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उसके द्वारा संदत्त किया जायेगा:" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) तृतीय परंतुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "के मद्दे रकम का उसके द्वारा" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "किये गये संदाय" से पूर्व, अभिव्यक्ति "प्रदायकर्ता को" अंत:स्थापित की जायेगी;

4. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 17 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 17 में,-

(क) उप-धारा (3) के स्पष्टीकरण में विद्यमान अभिव्यक्ति "अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट के सिवाय, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"सिवाय,-

(i) उक्त अनुसूची के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या संव्यवहारों के मूल्य; और

(ii) उक्त अनुसूची के पैरा 8 के खण्ड (क) के संबंध में ऐसे क्रियाकलापों या संव्यवहारों का मूल्य, जो विहित किया जाए,

अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।" और

(ख) विद्यमान खण्ड (च) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (छ) से पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(चक) कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये गये माल या सेवाओं या दोनों का, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम सं. 18) की धारा 135 में निर्दिष्ट निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन उसकी बाध्यताओं से संबंधित कार्यकलापों के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किये जाने के लिये आशयित है;"।

5. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 23 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 23 की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा और 01 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

"(2) धारा 22 की उप-धारा (1) या धारा 24 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसे व्यक्तियों का प्रवर्ग, जिसे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकेगी, विनि र्दिष्ट कर सकेगी।"।

6. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 30 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) में,-

"(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "रद्दकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिवस के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकेगा:" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसे अधिकारी को ऐसी रीति से, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जैसाकि विहित किया जाये, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकेगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान परंतुक हटाया जायेगा।

7. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 37 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 37 में विद्यमान उप-धारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उक्त ब्यौरे प्रस्तुत किये जाने की नियत तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् कर कालावधि के लिए उप-धारा (1) के अधीन जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को, उप-धारा (1) के अधीन किसी कर कालावधि के लिए जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए, उक्त ब्यौरों को प्रस्तुत किये जाने की नियत तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।"।

8. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 39 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 39 में विद्यमान उप-धारा (10) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(11) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उक्त विवरणी प्रस्तुत किये जाने की नियत तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् किसी कर कालावधि के लिए कोई विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को, किसी कर कालावधि के लिए उक्त विवरणी प्रस्तुत किये जाने की नियत तारीख से तीन वर्ष की उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।"।

9. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 44 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 44 को उसकी उप-धारा (1) के रूप मे संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार संख्यांकित उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, किसी वित्तीय वर्ष के लिए उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत किये जाने की नियत तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात्, उप-धारा (1) के अधीन कोई वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को, किसी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए, उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत किये जाने की नियत तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।"।

10. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 52 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 52 में विद्यमान उप-धारा (14) के पश्चात् और विद्यमान स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित नयी उप-धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(15) किसी प्रचालक को, उप-धारा (4) के अधीन कोई विवरण, उक्त विवरण प्रस्तुत किये जाने की नियत तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात्, प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी प्रचालक या प्रचालकों के किसी वर्ग को उप-धारा (4) के अधीन कोई विवरण, उक्त विवरण प्रस्तुत किये जाने की नियत तारीख से तीन वर्ष की उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।"।

11. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 54 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 54 की उप-धारा (6) में विद्यमान अभिव्यक्ति "जिसके अंतर्गत अंतिमतः स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है," हटायी जायेगी।

12. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 56 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 56 में विद्यमान अभिव्यक्ति "उक्त धारा के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिवस के अवसान के ठीक पश्चात् की तारीख से ऐसे कर के प्रतिदाय की तारीख तक, ऐसे प्रतिदाय के सम्बन्ध में ब्याज संदेय होगा:" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से ऐसे कर के प्रतिदाय की तारीख तक साठ दिवस से अधिक के विलंब की कालावधि के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जो विहित की जाये, संगणित किये जाने वाले ऐसे प्रतिदाय के सम्बन्ध में ब्याज संदेय होगा:" प्रतिस्थापित की जायेगी।

13. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 62 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (2) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "तीस दिवस" के स्थान पर अभिव्यक्ति "साठ दिवस" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामील से साठ दिवस के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है वहां वह उक्त निर्धारण आदेश की तामील से साठ दिवस से अधिक के विलंब के प्रत्येक दिवस के लिए एक सौ रुपये की अतिरिक्त विलंब फीस के संदाय पर और साठ दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर उसे प्रस्तुत कर सकेगा और यदि वह ऐसी बढ़ाई गयी कालावधि के भीतर-भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत कर देता है तो उक्त निर्धारण आदेश प्रतिसंहृत किया गया समझा जायेगा, किन्तु धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन ब्याज संदत्त करने का या धारा 47 के अधीन विलंब फीस संदत्त करने का दायित्व जारी रहेगा।"।

14. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 109 का प्रतिस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 109 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"109. अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठों का गठन.- इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन गठित माल और सेवा कर अधिकरण, इस

अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए, अपील अधिकरण होगा।"।

15. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 110 का हटाया जाना.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 110 हटायी जायेगी।

16. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 114 का हटाया जाना.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 114 हटायी जायेगी।

17. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 117 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 117 में,-

(क) उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राज्य न्यायपीठों" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) उप-धारा (5) में, खण्ड (क) और (ख) की विद्यमान अभिव्यक्ति "राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राज्य न्यायपीठों" प्रतिस्थापित की जायेगी।

18. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 118 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 118 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति "राष्ट्रीय न्यायपीठ या अपील अधिकरण की प्रांतीय न्यायपीठों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अपील अधिकरण की मुख्य न्यायपीठ" प्रतिस्थापित की जायेगी।

19. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 119 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 119 में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "राष्ट्रीय या प्रांतीय न्यायपीठों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "मुख्य न्यायपीठ" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राज्य न्यायपीठों" प्रतिस्थापित की जायेगी।

20. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 122 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 122 की विद्यमान उप-धारा (1क) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा (2) से पूर्व निम्नलिखित नयी उप-धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(1ख) कोई इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, जो-

(i) इसके माध्यम से, इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा, ऐसा प्रदाय करने के लिए रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त व्यक्ति से भिन्न किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अनुज्ञात करता है;

(ii) इसके माध्यम से किसी व्यक्ति, जो ऐसा अन्तरराज्यिक प्रदाय करने के लिए पात्र नहीं है द्वारा माल या सेवाओं या दोनों का अन्तरराज्यिक प्रदाय अनुज्ञात करता है; या

(iii) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से किये गये माल के किसी जावक प्रदाय के सम्बन्ध में धारा 52 की उप-धारा (4) के अधीन दिये जाने वाले विवरण में सही ब्यौरे प्रस्तुत करने में विफल रहता है,

तो दस हजार रुपए, या यदि ऐसा प्रदाय धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किया गया है, तो अंतर्वलित कर की रकम के समतुल्य रकम की शास्ति, जो भी अधिक हो, का संदाय करने का दायी होगा।"।

21. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 132 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (1) में,-

(क) विद्यमान खण्ड (छ), (ञ), और (ट) हटाये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ठ) में विद्यमान अभिव्यक्ति "खण्ड (क) से (ट)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "खण्ड (क) से (च) और खण्ड (ज) और (झ) प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ग) खण्ड (iii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे किसी अन्य अपराध" के स्थान पर अभिव्यक्ति "खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(घ) खण्ड (iv) में विद्यमान अभिव्यक्ति "या खण्ड (छ) या खण्ड (ञ)" हटायी जायेगी।

22. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 138 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 138 में,-

(क) उप-धारा (1) के प्रथम परंतुक में,-

(i) विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्;

"(क) कोई व्यक्ति जिसे धारा 132 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) से (च), (ज), (झ) और (ठ) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध के संबंध में एक बार प्रशमन होने के लिए अनुज्ञात किया गया था;";

(ii) विद्यमान खण्ड (ख) हटाया जायेगा;

(iii) विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ग) कोई व्यक्ति जो धारा 132 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन किसी अपराध को कारित करने का अभियुक्त रहा है;"; और

(iv) विद्यमान खण्ड (ङ) हटाया जायेगा; और

(ख) उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "न्यूनतम रकम दस हजार रुपये या अंतर्वलित कर के पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने और अधिकतम रकम तीस हजार रुपये या कर के एक सौ पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने" के स्थान पर अभिव्यक्ति "न्यूनतम रकम अंतर्वलित कर के पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं होने और अधिकतम रकम अंतर्वलित कर के एक सौ प्रतिशत से अधिक नहीं होने," प्रतिस्थापित की जायेगी।

23. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 में नयी धारा 158क का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 158 के पश्चात् और विद्यमान धारा 159 से पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"158क. कराधेय व्यक्ति द्वारा दी गयी सूचना की सहमति आधारित साझेदारी.- (1) धारा 133, धारा 152 और धारा 158 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निम्नलिखित ब्यौरों को, उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन और परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, ऐसी अन्य प्रणालियों के साथ, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, सामान्य पोर्टल द्वारा साझा किया जा सकेगा, अर्थात्:-

(क) धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में, या धारा 39 या धारा 44 के अधीन फाइल की गयी विवरणी में, दी गयी विशिष्टियां;

(ख) बीजक के तैयार करने के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गयी विशिष्टियां, धारा 37 के अधीन दिये गये जावक प्रदायों के ब्यौरे और धारा 68 के अधीन दस्तावेजों को तैयार करने के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गयी विशिष्टियां; और

(ग) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किये जाएं।

(2) उप-धारा (1) के अधीन ब्यौरे साझा करने के प्रयोजनों के लिए.-

(क) उप-धारा (1) के खंड (क), (ख) और (ग) के अधीन दिये गये ब्यौरों के संबंध में प्रदायकर्ता की सहमति; और

(ख) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन, और उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन दिये गये ब्यौरों के संबंध में प्राप्तिकर्ता की सहमति, केवल वहां जहां ऐसे ब्यौरों के अंतर्गत प्राप्तिकर्ता की पहचान संबंधी सूचना है,

ऐसे प्ररूप में और रीति से अभिप्राप्त की जाएगी, जो विहित की जाए।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन साझा की गयी सूचना के परिणामस्वरूप उद्भूत होने वाले किसी दायित्व के संबंध में सरकार या सामान्य पोर्टल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी तथा सुसंगत प्रदाय पर या सुसंगत विवरणी के अनुसार कर संदत्त करने के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं होगा।"।

24. राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं.9) की अनुसूची 3 में कतिपय क्रियाकलापों और संव्यवहारों के लिए भूतलक्षी छूट.- (1) मूल अधिनियम की अनुसूची 3 के विद्यमान पैरा 7 और 8 और उसके विद्यमान स्पष्टीकरण 2 को 1 जुलाई, 2017 से अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा।

(2) ऐसे सभी करों का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा जिन्हें संगृहीत किया गया है, किन्तु जो इस प्रकार संगृहीत नहीं किये गये होते यदि उप-धारा (1) सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती।

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, August 7, 2023

No. F. 2(34)Vidhi/2/2023.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Maal aur Seva Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023 (2023 Ka Adhiniyam Sankhyank 13):-

(Authorised English Translation)
THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2023
(Act No. 13 of 2023)

(Received the assent of the Governor on the 4th day of August, 2023)

An
Act

further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023.

(2) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. Amendment of section 10, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 10 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), hereinafter referred to as the principal Act,-

(a) in clause (d) of sub-section (2), the existing expression "goods or" shall be deleted; and

(b) in clause (c) of sub-section (2A), the existing expression "goods or" shall be deleted.

3. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (2) of section 16 of the principal Act,-

(i) in the second proviso, for the existing expression "added to his output tax liability, along with interest thereon", the expression "paid by him along with interest payable under section 50" shall be substituted; and

(ii) in the third proviso, after the existing expression "made by him" and before the existing expression "of the amount", the expression "to the supplier" shall be inserted.

4. Amendment of section 17, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 17 of the principal Act,-

(a) in the Explanation of sub-section (3), for the existing expression "except those specified in paragraph 5 of the said Schedule", the following shall be substituted, namely:-

"except,-

(i) the value of activities or transactions specified in paragraph 5 of the said Schedule; and

(ii) the value of such activities or transactions as may be prescribed in respect of clause (a) of paragraph 8 of the said Schedule."; and

(b) after the existing clause (f) and before the existing clause (g) of sub-section (5), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(fa) goods or services or both received by a taxable person, which are used or intended to be used for activities relating to his obligations under corporate social responsibility referred to in section 135 of the Companies Act, 2013 (Central Act No. 18 of 2013);".

5. Amendment of section 23, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- For the existing sub-section (2) of section 23 of the principal Act, the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:-

"(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1) of section 22 or section 24, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, specify the category of persons who may be exempted from obtaining registration under this Act.".

6. Amendment of section 30, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (1) of section 30 of the principal Act,-

(a) for the existing expression "the prescribed manner within thirty days from the date of service of the cancellation order:", the expression "such manner, within such time and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed." shall be substituted; and

(b) the existing proviso shall be deleted.

7. Amendment of section 37, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 37 of the principal Act, after the existing sub-section (4), the following new sub-section shall be added, namely:-

"(5) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (1) for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said details:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies for a tax period under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said details.".

8. Amendment of section 39, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 39 of the principal Act, after the existing sub-section (10), the following new sub-section shall be added, namely:—

"(11) A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said return:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return for a tax period, even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said return.".

9. Amendment of section 44, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- The existing section 44 of the principal Act shall be numbered as sub-section (1) thereof, and after sub-section (1) so numbered, the following new sub-section shall be added, namely:-

"(2) A registered person shall not be allowed to furnish an annual return under sub-section (1) for a financial year after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said annual return:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, and subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish an annual return for a financial year under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said annual return.".

10. Amendment of section 52, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 52 of the principal Act, after the existing sub-section (14) and before the existing Explanation, the following new sub-section shall be inserted, namely:-

"(15) The operator shall not be allowed to furnish a statement under sub-section (4) after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said statement:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow an operator or a class of operators to furnish a statement under sub-section (4), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said statement.".

11. Amendment of section 54, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (6) of section 54 of the principal Act, the existing expression "excluding the amount of input tax credit provisionally accepted," shall be deleted.

12. Amendment of section 56 , Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 56 of the principal Act, for the existing expression "from the date immediately after the expiry of sixty days from the date of receipt of application under the said sub-section till the date of refund of such tax", the expression "for the period of delay beyond sixty days from the date of receipt of such application till the date of refund of such tax, to be computed in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed" shall be substituted.

13. Amendment of section 62, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (2) of section 62 of the principal Act,-

(a) for the existing expression "thirty days", the expression "sixty days" shall be substituted; and

(b) for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and after sub-section (2) so amended, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that where the registered person fails to furnish a valid return within sixty days of the service of the assessment order under sub-section (1), he may furnish the same within a further period of sixty days on payment of an additional late fee of one hundred rupees for each day of delay beyond sixty days of the service of the said assessment order and in case he furnishes valid return within such extended period, the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn, but the liability to pay interest under sub-section (1) of section 50 or to pay late fee under section 47 shall continue.".

14. Substitution of section 109, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- For the existing section 109 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**109. Constitution of Appellate Tribunal and Benches thereof.-** Subject to the provisions of this Chapter, the Goods and Services Tax Tribunal constituted under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 shall be the Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act.".

15. Deletion of section 110, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- The existing section 110 of the principal Act shall be deleted.

16. Deletion of section 114, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- The existing section114 of the principal Act shall be deleted.

17. Amendment of section 117, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 117 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1), for the existing expression "State Bench or Area Benches", the expression "State Benches" shall be substituted; and

(b) in sub-section (5), in clauses (a) and (b), for the existing expression "State Bench or Area Benches", the expression "State Benches" shall be substituted.

18. Amendment of section 118, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In clause (a) of sub-section (1) of section 118 of the principal Act, for the existing expression "National Bench or Regional Benches", the expression "Principal Bench" shall be substituted.

19. Amendment of section 119, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 119 of the principal Act,-

(a) for the existing expression "National or Regional Benches", the expression "Principal Bench" shall be substituted; and

(b) for the existing expression "State Bench or Area Benches", the expression "State Benches" shall be substituted.

20. Amendment of section 122, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing sub-section (1A) and before the existing sub-section (2) of section 122 of the principal Act, the following new sub-section shall be inserted, namely:-

"(1B) Any electronic commerce operator who-

(i) allows a supply of goods or services or both through it by an unregistered person other than a person exempted from registration by a notification issued under this Act to make such supply;

(ii) allows an inter-State supply of goods or services or both through it by a person who is not eligible to make such inter-State supply; or

(iii) fails to furnish the correct details in the statement to be furnished under sub-section (4) of section 52 of any outward supply of goods effected through it by a person exempted from obtaining registration under this Act,

shall be liable to pay a penalty of ten thousand rupees, or an amount equivalent to the amount of tax involved had such supply been made by a registered person other than a person paying tax under section 10, whichever is higher.".

21. Amendment of section 132, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (1) of section 132 of the principal Act,-

(a) the existing clauses (g), (j) and (k) shall be deleted;

(b) in clause (l), for the existing expression "clauses (a) to (k)", the expression "clauses (a) to (f) and clauses (h) and (i)" shall be substituted;

(c) in clause (iii), for the existing expression "any other offence", the expression "an offence specified in clause (b)," shall be substituted; and

(d) in clause (iv), the existing expression "or clause (g) or clause (j)" shall be deleted.

22. Amendment of section 138, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 138 of the principal Act,-

(a) in the first proviso to sub-section (1),-

(i) for the existing clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) a person who has been allowed to compound once in respect of any of the offences specified in clauses (a) to (f), (h), (i) and (l) of sub-section (1) of section 132;";

(ii) the existing clause (b) shall be deleted;

(iii) for the existing clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

"(c) a person who has been accused of committing an offence under clause (b) of sub-section (1) of section 132;"; and

(iv) the existing clause (e) shall be deleted; and

(b) in sub-section (2), for the existing expression "ten thousand rupees or fifty per cent. of the tax involved, whichever is higher, and the maximum amount not being less than thirty thousand rupees or one hundred and fifty per cent. of the tax, whichever is higher", the expression "twenty five per cent. of the tax involved and the maximum amount not being more than one hundred per cent. of the tax involved" shall be substituted.

23. Insertion of new section 158A, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing section 158 and before the existing section 159 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"**158A. Consent based sharing of information furnished by taxable person.-** (1) Notwithstanding anything contained in sections 133, 152 and 158, the following details furnished by a registered person may, subject to the provisions of sub-section (2), and on the recommendations of the Council, be shared by the

common portal with such other systems as may be notified by the Government, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed, namely:-

(a) the particulars furnished in the application for registration under section 25 or in the return filed under section 39 or under section 44;

(b) the particulars uploaded on the common portal for preparation of invoice, the details of outward supplies furnished under section 37 and the particulars uploaded on the common portal for generation of documents under section 68; and

(c) such other details as may be prescribed.

(2) For the purposes of sharing details under sub-section (1), the consent shall be obtained, of-

(a) the supplier, in respect of details furnished under clauses (a), (b) and (c) of sub-section (1); and

(b) the recipient, in respect of details furnished under clause (b) of sub-section (1), and under clause (c) of sub-section (1) only where such details include identity information of the recipient,

in such form and manner as may be prescribed.

(3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no action shall lie against the Government or the common portal with respect to any liability arising consequent to information shared under this section and there shall be no impact on the liability to pay tax on the relevant supply or as per the relevant return.".

24. Retrospective exemption to certain activities and transaction in Schedule III to the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017).- (1) The existing paragraphs 7 and 8 and the existing Explanation 2 in Schedule III to the principal Act, shall be deemed to have been inserted therein with effect from the 1st day of July, 2017.

(2) No refund shall be made of all the tax which has been collected, but which would not have been so collected, had sub-section (1) been in force at all material times.

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,
Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।